न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/56/2020

अपींलाट श्री गोपीकिशन
निवासी गांव दारूड़ा पोस्ट मारूडी तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 05.10.2020

अपीलार्थी श्री गोपीकिशन निवासी गांव दारूड़ा पोस्ट मारूडी तहसील व जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 337730 दिनांक 22.07.2020 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने कॉन्स्टेबल 891 पुलिस थाना चौहटन की हैसियत से आवेदन प्रस्तुत किया है, जबकि लोक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अन्तर्गत सूचना का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है लिहाजा अपीलार्थी की श्रेणी भारतीय नागरिक के रूप में नहीं होने से सूचना पाने के हकदार नहीं हैं तथा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमो के जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने वर्तमान कार्यस्थल का पता अंकित कर वांछित सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी से चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा इसे पदीय हैसियत मानते हुये प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। जबकि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट रूप से अपना पूरा पता बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा प्रार्थना–पत्र में कहीं प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने कार्यालय अथवा संस्था, संगठन, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संघ, समिति की ओर से आवेदन किया गया हो। इस प्रकार अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र पर नियमों का गलत विवेचन करते हुए अपीलाधीन निश्चय किया गया हैं तथा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि मे वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना यथा उपलब्धता देय सूचना उपलब्ध कराते हुए प्रार्थना–पत्र निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:46:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर